



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2024/872

दिनांक : 07/10/2024

- :: अधिसूचना :: -

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ने अपने आदेश क्रमांक एफ-1-1/24/रा.स./यू.ए.-1/1169, दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रो. अर्पण भारद्वाज, प्रोफेसर एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो, के लिए विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलगुरु नियुक्त किया है।

उक्त आदेश के अनुक्रम में प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कुलगुरु के पद का कार्यभार दिनांक 07/10/2024 को पूर्वह में ग्रहण कर लिया है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2024/873

दिनांक : 07/10/2024

प्रतिलिपि,

1. कुलाधिपतिजी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म.प्र)।
2. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र)।
4. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र)।
5. सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र)।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन (अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबधित शाखा) सतपुड़ा भवन, चौथी मंजिल, भोपाल (म.प्र)।
7. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म.प्र)।
8. सचिव, भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय, मण्डल, नई दिल्ली।
9. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
10. कुलसचिव, भारत के समस्त विश्वविद्यालय।
11. कुलगुरु/कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र)।
12. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म.प्र)।
13. जिलाधीश उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र)।
14. अध्यक्ष, समस्त समबद्ध अध्ययनशालाएँ, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र)।
15. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र, उज्जैन (म.प्र)।
16. प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र)।
17. समस्त अधिकारीगण, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र)।
18. वित्त नियंत्रक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र)।
19. कुलगुरु/कुलसचिव, के निज सहायक, वि.वि. उज्जैन।
20. व्यक्तिगत नस्ती।